हर इन्सान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान

समता ज्योति

वर्ष : 15 अंक : 03 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 मार्च, 2024

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये (चार पेज)

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

महिला आरक्षण कानून तत्काल लागू करना संभव नहीं: केन्द्र

महिला आरक्षण : बस वादे और गारंटी

जयपुर, 18 मार्च (कार्यालय संवाददाता)। चुनाव के समय में पार्टियाँ कितनी चौकन्नी होती है इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हाल ही देखने को मिला। जयपुर की नवोदित संस्था मिशन हम ब्रह्माणी ने एक मार्च को प्रेस कांफ्रेंस करके दोनों बड़ी पार्टियों पर आरोप लगाया कि 32-35 साल की मांग और तपस्या के बाद संसद से 33 प्रतिशत महिला आरक्षणका बिल पास तो हो गया लेकिन फिर भी उसे 10 साल तक प्रतीक्षा सूची में रखना देश की लगभग 50 करोड़ महिला मतदाताओं का अपमान है।

मिशन हम ब्रह्माणी की एक संयोजक सुषमा नरूला ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर हमने चार मार्च को दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को उनके प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से ज्ञापन भेजकर महिला आरक्षण को चुनाव के ठीक बाद 2024 में ही लागू करने की मांग की थी। और इसको लागू करवाने के लिए महिला प्रधानमंत्री भी दिये जाने की मांग की है। इस ज्ञापन का असर बहुत तेजी से हुआ और उसका परिणाम यह हुआ कि युवा-युवा की माला फेरने वाली भाजपा ने अनेक जगह महिला-महिला की दुहाई देते हुये नारी शक्ति के आयोजन शुरू कर दिये है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भाजपा से एक कदम आगे बढते हुये ज्ञापन प्राप्ति के 6 दिनों के भीतर ही महिलाओं के लिए पांच गारंटियाँ घोषित करके नौकरियों में 50 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण दिये जाने की गारंटी दे दी है।

समय सीमा तय नहीं की जा सकती

सरकार ने कहा कि याचिका में स्थापित नहीं किया जा सका कि 106वें संविधान संशोधन का कोई हिस्सा असंवैधानिक है या संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है। याचिका में महिलाओं के लिए राजनीतिक आरक्षण को तत्काल लागू करने की मांग की गई है। लेकिन बिना उचित प्रक्रिया आरक्षण लागू करने के लिए समय सीमा जय नहीं की जा सकती है।

इस सारी प्रक्रिया के उलट केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 33 प्रतिशत महिला आरक्षण तत्काल लागू किया जाना संभव नहीं है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल करते हुये कहा है कि महिला आरक्षण कानून तत्काल लागू नहीं किया जा सकता है। इसके लिए जनगणना और परिसीमन की प्रकियाँ को तय कानून और नियमों के तहत निभाया जाना जरूरी है। इसके बाद ही आरक्षण लागू किया जा सकता है। ऐसे में जया ठाकुर की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को याचिका खारीज कर देनी चाहिये।

कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने याचिका दायर कर चुनाव में महिलाओं को तत्काल आरक्षण दिये जाने की मांग की थी। कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था। सरकार ने हलफनामा में बताया कि वह संसद, विधानसभाओं के साथ स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी समेत जीवन के हरेक क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण एवं महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार की प्रतिबद्धता इस मसले पर भारत के संविधान के अनुरूप है। गौरतलब है कि सरकार ने संविधान संशोधन कर महिलाओं के लिए आरक्षण कानून बनाया है इसमें एक तिहाई सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है।

डीओपी की राय के बाद सरकारी बिजली निगमों में अब 50 प्रतिशत से ज्यादा पदों पर आरक्षित वर्ग के चीफ इंजीनियर

जयपुर डिस्कॉम की रिवाइज डीपीसी में चीफइंजीनियर एसपी गुप्ता व एक अधीक्षण अभियंता पदावनत

जयपुर। प्रदेश की सरकारी बिजली निगमों के प्रमोशन में अब 50 प्रतिशत से ज्यादा पदों पर आरक्षित वर्ग के चीफ इंजीनियरों की पोस्टिंग हो सकेगी। कार्मिक विभाग (डीओपी) की राय के बाद जयपुर डिस्कॉम की डीपीसी के बाद चीफइंजीनियर के तीन में से दो पदों पर एसटी व एससी वर्ग के सीई को प्रमोशन देकर पोस्टिंग दी है। वहीं 2022-23 की रिवाइज डीपीसी में सामान्य वर्ग के चीफ इंजीनियर एसपी गुप्ता और एक अधीक्षण अभियंता को पदावनत कर दिया और जबकि एसपी गुप्ता की याचिका हाईकोर्ट में पेंडिंग भी है। लेकिन बिजली निगमों में डीओपी की राय पर लीगल ओपिनियन लेने के बजाए सीधे ही डीपीसी कर दी गई। इससे बिजली कंपनियों में इंजीनियरों के अनारक्षित व् आरक्षित वर्ग के बीच टकराव व विधिक विवाद के हालात हो गए है। इसको लेकर इंजीनियरों का एक वर्ग मुख्यमंत्री व ऊर्जा मंत्री से मिलकर अपना पक्ष रखेगा।

इनका आरोप है कि पिछली सरकार के समय राजनीतिक दबाव के कारण डीपीओ ने आनन-फानन में 50 प्रतिशत से ज्यादा पदों पर आरक्षित वर्ग के चीफइंजीनियरों को प्रमोशन देने की बात कही और सरकार बदलते ही दबाव में बिना लीगल राय के ही रिवाइज डीपीसी कर दी गई। धीरे-धीरे यह परिपाटी सभी कैडर के पदों पर हो जाएगी और सामान्य वर्ग के इंजीनियरों के प्रमोशन के अवसर कम होने की आशंका है।

डीओपी की इस राय के आधार पर विधुत प्रसारण निगम में किये गए प्रमोशन पर हाईकोर्ट से पहले ही स्थगन आदेश पारित किया हुआ है। जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम में भी डीपीसी होनी है। इंजीनियरों के एक गुट का कहना है कि जयपुर डिस्कॉम के चीफ इंजीनियरों के तीन में से दो पद आरक्षित वर्ग से भरे जा चुके है। अब 50 प्रतिशत के आरक्षण की सीमा लांघने से भविष्य में तीसरा पद भी आरक्षित वर्ग से भर दिया जाएगा। जो न केवल राज्य सरकार के दिनांक 11 सितम्बर 2011 की अधिसूचना का उल्लंघन होगा बल्कि इससे उनके चीफइंजीनियर के पदों पर सामान्य वर्ग के प्रमोशन का अवसर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे इसका विधिक परीक्षण हो।

डिस्कॉम से रिटायरमेंट के दो साल बाद पदावनत

डिस्कॉम की 2022-23 की डीपीसी में सत्यप्रकाश गुप्ता को चीफ इंजीनियर बनाया गया था। गुप्ता डिस्कॉम से दो साल पहले ही रिटायरमेंट हो चुके है । लेकिन दो दिन पहले हुए रिवाइज डीपीसी में गुप्ता को पदावनत करते हुए एडिशनल चीफ इंजीनियर ही रहने दिया। जबकि गुप्ता इस मामले को पहले ही हाई कोर्ट में ले जा चुके है तथा वहां उनकी याचिका पेंडिंग है।

तीन पर चीफइंजीनियर

आरके मीणा (एसटी)
आरके जीनवाल (एससी)

पांच पद एडिशनल चीफ इंजीनियर

संजय सिंह नेहरा, उमेश गुप्ता, अनिल गुप्ता, बीएस मीना (एसटी)
गजेंद्र सिंह बैरवा (एससी)

डीओपी की राय से हुए प्रमोशन

डिस्कॉम के चैयरमेन भानु प्रकाश येतुरू का कहना है कि मामला एल शेप रोस्टर लागू करना का है। डिस्कॉम ने डीपीओ द्वारा दी गई पोलीसी राय का पालन किया है।

एससी-एसटी कानून के तहत फर्जी एफआईआर दर्ज कराने पर महिला सहायक प्रोफसर पर 15 लाख रुपये का जुर्माना

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तीन वरिष्ठ प्रोफेसरों के खिलाफ एससी-एसटी कानून के तहत फर्जी एफआईआर दर्ज कराने के लिए इस विश्वविद्यालय की एक महिला सहायक प्रोफेसर पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। हाईकोर्ट ने एफआईआर भी रद्द कर दी।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के तीन प्रोफेसरों के खिलाफ दर्ज कराए गए फर्जी एससी एसटी एक्ट के मुकदमे को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है, साथ ही फर्जी और झूठा मुकदमा दर्ज कराने वाली महिला असिस्टेंट प्रोफेसर पर 15 लाख जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता एक पढ़ी लिखी महिला है, लेकिन उसने व्यक्तिगत रूप से बदला लेने के लिए कानून का दुरूपयोग किया है।

अध्यक्ष की कलम से

मजबूत सरकारें

साथियों,

लोकतंत्र में लोकराज और लोककल्याण मुख्य तत्व होते है। लेकिन जिस तरह से पार्टियों की पकड़ ढीली पड़ती गयी वैसे-वैसे नेताओं को मनमानी करने का अवसर मिलता गया और परिणाम हुआ भ्रष्ट आचरण का खुला प्रदर्शन। दैवयोग से श्रीमती इंदिरा गांधी के समय से भी अधिक मजबूत केंद्र सरकार इन दिनों दिखाई दे रही है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को बधाई दी जा सकती है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह न केवल अपनी पार्टी को दिनों दिन मजबूत करते जा रहे है वरन देश को भी उसी तर्ज पर एक महाशक्ति के रूप में प्रतिष्ठा देने को तत्पर हैं।

सत्ता की कमजोर पकड़ जिस तरह बिहार और यूपी में कभी अराजकता का कारण थी वही आज आदर्श के रूप में स्वीकार की जाने लगी है। पूर्ववर्ती सरकारें जहाँ आपराधिक मुद्दों पर अदालतों का मुहं ताकती थी वहीं आज की सरकारें अपनी कानूनी शक्तियों का स्वयं प्रयोग कर रही है। इससे जनमानस में विश्वास बड़ा है।

हम चाहते हैं कि मजबूत सरकारों के सामने मजबूत विपक्ष भी होना चाहिये। लेकिन जड़ों से खोखली हो चुकी अन्य पार्टियों में अब वो इच्छाशक्ति भी नहीं बची जो विपक्ष को प्रत्युत्पन्नमति बनाती थी। लेकिन इस विषय में शायद परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक कि पार्टियाँ स्वयं मजबूत न हों।

जय समता।

सम्पादकीय

''ये OBC ओबीसी क्या है ?? ''

देश में दो प्रमुख पार्टियाँ हैं। एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इनमे से पहली की उम्र 44.45 साल है जबकि दूसरी लगभग सवा सौ साल पुरानी है। वैसे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी तो आम आदमी पार्टी भी है। लेकिन विस्तार और आकार में बहुत ही छोटी है। तीनों में वैचारिक स्तर पर कहीं कोई समानता नहीं है लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि राजनीति में सभी एक थाली के चट्टे बट्टे होते हैं।

यहाँ दोनों प्रमुख और बड़ी पार्टियों की चर्चा कर रहे हैं। इनमे कांग्रेस कई महिनों से ओबीसी की माला जप रही है जो आरक्षण की बात नहीं करके भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से यही कर रही है। दूसरी तरफ भाजपा ओबीसी की माला तो नहीं जप रही है लेकिन सच में कर वही रही है जो कांग्रेस कर रही है। हरियाणा में खट्टर की चलती हुई सरकार को तीन-चार घंटों में ही बदलकर ओबीसी की सरकार बना दिया गया। यही नहीं दोनों पार्टियों ने टिकट बटवारे को लेकर भी साफतौर पर ओ बी सी की माला जपी है।

मंडल आयोग की संतान है ओ बी सी। इसके पैदा होने पर देश में सबसे बड़ा अहिंसक विरोध गंभीर हिंसक तारीके से हुआ था। यह 1990-91 का कालखंड था और 159 युवाओं का इस या उस तरीके से आत्मघात किया था। और अंततः वो विश्वनाथ सिंह की सरकार धराशाही हुई थी। अब वही विषैला मुद्दा लोकसभा चुनाव का केंद्रीय मुद्दा है। इसका परिणाम भारत को कितना और कहाँ तक भुगतना होगा यह भविष्य के गर्भ में है।

विचारकों का ये मानना है कि ओ बी सी को केंद्रीय मुद्दा बना देने पर एस सी - एस टी के विषैले मुद्दे का असर कम हो जायेगा। और ऐसा आभास भी हो रहा है। यानी जहर ही जहर को काटता है ये प्रमाणित करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इस तरह के प्रयासों से कथित जातिवाद समाप्त हो जायेगा ऐसा मानना पूरी तरह अति उत्साह ही होगा। क्योंकि पहले न केवल दोनों पार्टियों ने बल्कि सभी पार्टियों ने एक स्वर से एस सी - एस टी की माला भी जपी और उन्हें गौद में भी खिलाया। लेकिन क्या कोई कह सकता है कि देश में जातिवाद समाप्त हो गया है? यदि सच में ऐसा होता तो देश की सर्वोच्च न्याय सत्ता 298 सविंधान सभा सदस्यों की उपेक्षा करके अकेले डॉ0 अम्बेडकर की प्रतिमा अपने प्रांगण में नहीं लगाती।

वैसे ओ बी सी मुद्दे के माध्यम से पुरे राष्ट्र में अब तक प्रताड़ित रहे कथित सामान्य वर्ग को बार-बार दोयम दर्जे का सिद्ध करना का प्रयास कुत्सित है और निंदनीय भी। समता आंदोलन सवैंधानिक शुचिता के माध्यम से सहकार और समत्व की बात करता है। किन्तु जिस तरह जातियों को फिर से विकास के स्थान पर राजनीति का केंद्र बनाया जा रहा है वह स्वस्थ और गतिशील लोकतंत्र का संकेत नहीं है।

जय समता

- योगेश्वर झाड़सरिया

उच्चतम न्यायालय ही बचा सकता है लोकतंत्र

चुनाव होने जा रहे है, जनता असमंजस की स्थिति में है। क्या करें, किस पार्टी को अपना मतदान करें? किस उम्मीदवार को अपना आदर्श माने? कौन अपने सपनों का भारत बना सकता है? क्या उसका उम्मीदवार आपराधिक प्रवृति का है? क्या वह सजा भोग रहा है अर्थात जेल में है? वह धर्मान्त तो नहीं है? क्या वह उसके लिए अच्छा कानून बना सकता है? क्या उसकी प्रवृति का रहस्य रिश्वत का मूल मंत्र तो नहीं है? क्या वह जातिवाद का पक्षधर है? क्या वह देश की आजादी के 65 साल बाद भी अपने को पिछडा बतला रहा है, जबकि उच्च पद पर शासन चला रहा है। ऐसे सैकडों प्रश्न बिना किसी उत्तर के उसके सामने खड़े हैं।

इन सारे प्रश्नों के उत्तर वह कहां तलाश करे। वह तो चौराहे पर खडा है, किस ओर कदम बढा कर आगे बढे, उसे पता नही है। आज जनता को थोडा बहुत विश्वास है तो वह न्यायालय पर है और सर्वोच्च न्यायलय के ऊपर उसकी निगाहे है। सर्वोच्च न्यायालय के समझ में आ चुका है, शासन भ्रष्ट है। न्यायपालिका भी अछूती नहीं है, फिर भी बहुत अच्छे न्यायाधीश हैं जिन्होंने अपने ऐतिहासिक निर्णयों से जन-जन के विश्वास को बनाये रखा है।

ऐसा विश्वास बना हुआ है, न्यायालय को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह अधिकार केवल विधायिका के क्षेत्र का है, जो संविधान ने दिया है। यदि हम संविधान का विश्लेषण करें, तो हमें कई अनुच्छेदों की सही व्याख्या करनी होगी। अनुच्छेद 141, 142 व 144 की ओर विशेष ध्यान देना होगा। अनुच्छे 141 स्पष्ट करता है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। निर्णय को देश का कानून माना गया है। सर्वोच्च न्यायालय यह स्पष्ट करता है, यदि सामाजिक परिवर्तन की अपेक्षा है, तो अधिनियम को उद्देशिका से प्रेरणा लेकर परिवर्तित किया जा सकता है। कानून को अधिकार शून्य घोषित कर, न्यायालय नया कानून ही तो बनाता है।

अनुच्छेद 142 घोषणा करता है इस देश का न्यायालय सम्पूर्ण न्याय के हेतु प्रचलित कानून से भी दूर जाकर, ऐसा कर सकता है। अनुच्छेद 144 सभी सिविल व न्यायिक अधिकारों से यह अपेक्षा करता है कि वे सब न्यायालय के निर्णयों को अंगीकार कर क्रियान्वयन करें। कई निर्णय ऐसे है जहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि जहां कानूनी व्यवस्था नहीं है अर्थात कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, तो न्यायालय अपने विवेक से न्याय हेतु निर्देशन दे सकता है, ऐसा निर्णय कानून ही माना जावेगा। सावधानी केवल इतनी ही अपेक्षित है कि न्यायालय का आदेश ऐसा नहीं हो जो संविधान के प्रावधान के विपरीत हो। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में इसे स्पष्ट किया है कि उसे कानून बनाने का अधिकार है, अन्तर इतना है कि न्यायालय का निर्णय कानून की मान्यता रखता और देश के लिए मान्य है, वह प्रभावकारी है, वहीं विधायिका कानून संसद, विधानसभा के द्वारा पारित किया जाता है और इसकी वैधानिकता को भी सर्वोच्च न्यायालय प्रमाणित करता है यदि अवैधानिकता पाई जाती है तो उसे अल्ट्रावाइरिस अर्थात अवैध घोषित कर दिया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने गोलखनाथ, केशवानन्द भारती, मेनका गांधी आदि के केसेज में कहा है कि अनुच्छेद 32, 141, 142 इस प्रकार की भाषा में अभिव्यक्त किये गये है जो लीगल डाक्टरीन को सृजन करने में सहायक है जो वस्तुतः कानून ही है। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हॉक्स व लॉर्ड रेड, लॉर्ड डिनिंग ने स्वीकार किया है कि न्यायाधीश भी कानून बनाते है।

इन निर्णयों में स्पष्टता के साथ स्वीकार किया गया है सर्वोच्च न्यायालय को कानून बनाने का अधिकार है। इस पुरानी धारना को आज सही नहीं आंका जाता कि न्यायाधीश कानून नहीं बनाते।

सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव की सुचिता के लिए संसद, विधानसभा के सदस्यों के आचरण की प्रमाणिकता के लिए दो निर्णय दिये हैं। आपराधिक कानून के तहत सजा प्राप्त आरोपी विजयी होने के बाद भी अयोग्य हो जावेगा, वह सांसद नहीं रहेगा, उसे अपील करने से भी कोई राहत नहीं मिलेगी और जेल में रहते हुये व्यक्ति को चुनाव में खडे होने की सक्षमता नहीं होगी। इस प्रकार हमारी संसद, विधानसभा आपराधिक प्रवृति के लोगों से मुक्त हो सकेगी, जिनके लिए आज यह माना जा रहा है कि कानून बनाने की प्रक्रिया में वे लोग शामिल है, जो अपराधी है। कानून अब उनके लिए ही नहीं जनता की भलाई के लिए बनेगा।

यह अवश्य है, इन निर्णयों को लागू होने से राजनैतिक पार्टियाँ झूठे मुकदमे चला कर किसी प्रतिद्वन्दी को फंसा सकती है, जेल भिजवा सकती है, किन्तु इससे निपटने के लिए कई उपाय है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी अपना अभिमत दिया है कि चुनाव सभाओं में धार्मिक प्रचार निषेध है यह एक चुनाव अपराध है।

चुनाव कानून में मत का लाभ लेने के लिए रिश्वत देना अपराध है, प्रलोभन देना अपराध है, एक दुराचरण है और ऐसी कई घटनाएँ पाये जाने पर चुनाव में जीतने के बाद भी उस व्यक्ति का चुनाव निरस्त किया जा सकता है उसे छः साल के लिए चुनाव लडने के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। यह कानून चुनाव के समय की बात करता है।

प्रश्न यह है कि यदि राजनेतिक पार्टिया मत हासिल करने के लिए गरीबी मिटाने का नारा देकर मत प्राप्त करना चाहती है, तो क्या ये आचरण प्रलोभन नहीं है। कई राज्यों में नकद राशि, लेपटॉप, टीवी और न जाने क्या-क्या वस्तुएँ मतदाता को लुभाने के लिए दी जा रही है यह क्या है? क्या ये प्रलोभन नहीं है? क्या ये चुनाव को प्रभावित करने वाला कार्य नहीं है? क्या ये प्रलोभन के वितरण, आचरण शुद्धता व सुचिता का मापदण्ड हो सकता है? फिर इस प्रवृति पर रोक क्यों न लगे?

कथित राजनैतिक पार्टियों और उनके नेताओं ने मतदाताओं को घूस का नया तरीका अपनाते हुये भविष्य के रंगीन सपने दिखाने शुरू किये है जो शुद्ध रूप से आर्थिक प्रलोभन में आते है। दलों द्वारा गरीबों एवं महिलाओं को आर्थिक सहायता सालाना देने की बात करना एवं अन्य आर्थिक सहायता देना क्या ये प्रलोभन नहीं है? क्या ये चुनाव को प्रभावित करने वाला कार्य नहीं है? क्या ये प्रलोभन के वितरण, आचरण शुद्धता व सुचिता का मापदण्ड हो सकता है? फिर इस प्रवृति पर रोक क्यों न लगे? पार्टियॉ एक से बढ कर एक इस तरह की घोषणाएँ करती जा रही है जो कि चुनाव को प्रभावित करने वाला कार्य है। इस पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाकर रोक लगाई जानी चाहिये।

सर्वोच्च न्यायालय ने एम. नागराज एवं अन्य केसेज में स्पष्ट किया है जो व्यक्ति पिछडेपन का लाभ लेते रहे हैं उनके जो व्यक्ति क्रिमिलेयर में आ चुके हैं वे अब पिछड़े नहीं हैं। उन्हें पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षित सीट से चुनाव लडने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिये।

इस प्रकार समय आ चुका है सर्वोच्च न्यायालय को अधिक सक्रिय होकर बहुत कुछ करना है। जनता की अपेक्षाएँ, सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णयों से बढ गई है। यह क्रम चालू रखना ही होगा। नई संसद व विधान सभा में कोई दागी व्यक्ति नहीं जा पावे। सांसद का सदाचारी होना पढा लिखा होना अनिवार्य होना चाहिये, जो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य दिये हैं उनके प्रति निष्ठा रखने वाला हो। जनतंत्र में न्यायाधीशों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे निर्णयों का खुल कर स्वागत करना चाहिये। जय गणतंत्र।

- सदर्भ कक्ष

पौराणिक कथन : 'अर्चा' (प्रतिमा)

विष्णु के पूजन का यह विधान त्रेता युग में भी था। भागवत के अनुसार तब अर्चा स्वर्ण, रजत की होती थी।

असमंजस में सभी खड़े हैं,
बदचलनी के खेल बड़े हैं।
अफसर करते लीपा-पोती,
सच पर भारी झूठ पड़े है।।

'समता आन्दोलन के सदस्य बने और

कविता

हिंसा का संकट गहराया

वो कहते हैं खूब रूलाया,
ये बोले हैं गोद खिलाया,
संविधान ने उनकी मानी-
निर्दोषों को बहुत सताया।
साल सैकड़ों सही गुलामी,
भारत माँ थी करूण कहानी,
सन सैंतालीस हंसी मिलि जब-
गरम-नरम ने हाथ मिलाया।
पहली बार सन पचास में,
संविधान के नव प्रकाश में,
सबने मिल संकल्प लिया तब-
भारत जन खुल के मुस्काया।
सभी जात के हरकारों ने,
स्वार्थ के लंबरदारों ने,
देश-धर्म की बात भूलकर-
जातिवाद का दंश लगाया।
तब से अब तक भारत माता,
बन न सकी जन भाग्य विधाता,
वे लंपट बन नाच रहे हैं-
हिंसा का संकट गहराया।
जागो भारत देश के वासी,
कल के हित न बनो उदासी,
शस्त्र उठाओ वोट चोट का-
जातिवाद को करो पराया।
वो कहते हैं खूब रूलाया,
ये बोले हैं गोद खिलाया,
संविधान ने उनकी मानी-
निर्दोषों को बहुत सताया।

- प्रदीप सिंह -

आरक्षण के दंश की कुछ महत्वपूर्ण बातें

यदि प्रशासकों की नियुक्ति और पदोन्नति जाति के आधार पर न करके योग्यता के आधार पर की जाती तो अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों सहित सभी वर्गों की स्थिति उनकी वर्तमान स्थिति की अपेक्षा बेहतर, बहुत बेहतर होती।

अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत ऐसा कोई कदम नहीं है कि किसी छात्र को उसके पूरे शैक्षिक जीवन में एक बार से अधिक आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता।'' लेकिन सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने ही नियम-निरूपण पर क्यों नहीं चलता कि किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पानेवाले सभी व्यक्ति अंतत: एक ही वर्ग के सदस्य बन जाते हैं और उसके बाद उनके साथ अलग-अलग बरताव करना समानता के सिद्धांत के विरूद्ध है? इससे आखिर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है।

माना भी जा सकता है कि आरक्षण के बल पर सेवा में नियुक्त होने वाले कर्मचारी अंतत: अपनी कमियों को दूर कर लेंगे; लेकिन इस प्रकार नौकरी पाने को मौलिक अधिकार तो नहीं बनाया जा सकता-''यह नौकरी मेरा अधिकार है। इस पर मेरा हक है।'' बल्कि इसके स्थान पर कुछ इस प्रकार की भावना भरी जानी चाहिए- कि प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए उद्यम करना चाहिए।

यदि पूरे प्रशासनिक ढाँचे का संचालन नौकरी और पदोन्नति के मामले में अधिकार-प्रदर्शन के आधार पर नहीं बल्कि कार्य, योग्यता तथा प्रदर्शन के आधार पर किया जाता तो क्या समस्त सामाजिक वर्गों की स्थिति बेहतर नहीं होती ?

क्या सर्वोच्च न्यायालय के पास इसका कोई अनुभवजन्य प्रमाण है कि 'अंक तो धर्म, संप्रदाय, रंग आदि के आधार पर दिए जाते है'? क्या प्रतियोगी परीक्षाओं में, इंजीनियरिंग कॉलेजों में अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों की बढ़ती संख्या ही इसका अनुभवजन्य प्रमाण है? बड़े-से-बड़े सक्रियतावादी भी इस संबंध में कोई प्रमाण नहीं दे सका है कि' अंक तो जाति, धर्म, संप्रदाय और रंग के आधार पर दिए जाते है।'

हम स्वयं से ही क्यों नहीं पूछते कि पचास वर्षों से चली आ रही आरक्षण को व्यवस्था के बाद भी अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की स्थिति इससे ज्यादा क्यों नहीं सुधर सकी ?

अनुच्छेद 335 में किए गए प्रावधान के अनुसार, ''सेवा अथवा विभाग की कुशलता या गुणवत्ता को बनाए, रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक अथवा अन्य योग्यता स्तर में ढील नहीं दी जा सकती।''

आखिर सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने ही नियम-निरूपण पर क्यों नहीं चलता कि किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने वाले सभी व्यक्ति अंतत: एक ही वर्ग के सदस्य बन जाते हैं और उसके बाद उनके साथ अलग-अलग बरताव करना समानता के सिद्धांत के विरूद्ध है? इससे अखिर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है।

यह दु:खद बात है कि कानून-निर्माता कभी-कभी अनावश्यक रूप से यह समझने लगते है कि उच्च न्यायालय या उसके न्यायाधीश अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 16(4) के अंर्तगत रखी गई शर्तो की ओर से पूरी तरह उदासीन हैं। न्यायपालिका संविधान के तीन अंगों में से एक है और जिन लोगों को न्याय-प्रशासन के मामलों का कार्यभार सौंपा जाता है, उन्हें संवैधानिक शर्तों-प्रावधानों की

लेकिन एक समस्या और है, जो इससे भी बड़ी है। सार्वजनिक बहस में जातिवादियों द्वारा और न्यायपालिका में अनके सहयोगियों यानी प्रगतिवादियों द्वारा नैतिकता की लड़ाई लड़ी गई है, जिन्होंने भारत की वास्तविकता या सच्चाई की ओर देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि यहाँ जाति ही वर्ग है। परिणामस्वरूप् न्यायपलिका को जब भी ऐसा कोई निर्णय लेना पड़ता है, वह रक्षात्मक रवैया अपनाते हुए कायरता का सहारा लेती है।

आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में कराया जावे दोहरी सदस्यता का चुनाव : पं0 रामकिशन

समता आंदोलन द्वारा उठाई गई मांग का समर्थन

भरतपुर। समता आन्दोलन समिति द्वारा उठाई गई मांग का समर्थन करने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से पूर्व सांसद पंडित रामकिशन के निवास पर उनकी अध्यक्षता एवं श्री ब्राह्मण सभा के पूर्व जिलाध्यक्ष कौशलेश शर्मा के नेतृत्व में बैठक आयोजिक की गई जिसमे आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में दोहरी सदस्यता का चुनाव कराने की मांग की गई।

बैठक के प्रारम्भ में पूर्व सांसद पंडित रामकिशन का स्वागत सम्मान किया गया। बैठक में पूर्व सांसद रामकिशन ने कहा कि सन 1952 एवं 1957 में दोहरी सदस्यता का चुनाव हुआ करता था जिसमे आरक्षित क्षेत्र में आरक्षित वर्ग के साथ साथ सामान्य वर्ग को भी चुनाव लड़ने का अधिकार था लेकिन बाद में इसे खत्म कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप आरक्षित वर्ग ओर सामान्य वर्ग के बीच की दुरी बड़ती चली आ रही है इसलिए समता आंदोलन द्वारा उठाई गई इस मांग का में समर्थन करता हूँ जो कि सवैंधानिक अधिकार है।

समता आंदोलन के जिलाध्यक्ष केदार पाराशर ने राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में एक आरक्षित वर्ग एवं एक सामान्य वर्ग प्रत्याशी दोहरी सदस्यता का चुनाव होना चाहिए जिससे कि सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को भी चुनाव लड़ने का अवसर मिल सके।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में आरक्षित क्षेत्र में आरक्षित वर्ग के सदस्य के निर्वाचन से सामान में कुंठा की भावना बड़ती चली जा रही है और सर्व समाज के बीच दुरी का ग्राफ भी बड़ता चला जा रहा है जो कि आमजन के हित में नहीं है। अत: सवैंधानिक अधिकार के तहत, सरकार को एक तरफ व्यवस्था को खत्म करके, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में दोहरी सदस्यता एक आरक्षित वर्ग एवं एक सामान्य वर्ग प्रत्याशी का चुनाव करवाया जाना चाहिए।

सभी उपस्थित संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस बात का समर्थन किया।

श्री ब्राह्मण सभा के पूर्व जिलाध्यक्ष कौशलेश शर्मा ने बताया कि वर्तमान राज्य एवं केंद्र सरकार की व्यवस्थाओं से समाजों में बड़ती हुई दूरियां एवं समाप्त होते भाईचारे को लेकर सभी समाजों के शिक्षाविद प्रबुद्धजन चिंतित हैं, इसलिए ऐसी क्या सभी समाजों के सामने विचारधारा लाई जाए, जिससे सभी को उचित सम्मान एवं न्याय प्राप्त हो सके।

इस समतावादी विचारधारा को लेकर समता आंदोलन आपके समक्ष उपस्थित हुआ है। आज कोई भी सरकार सामान्य वर्ग के प्रति चिंतित नही हैं। समता आंदोलन जागरूकता व व्यवस्था परिवर्तन की बात करता है। समता परिवार क्या कर रहा है। क्या कर पाया है इसका प्रचार प्रसार करने के साथ आमजन को एकमंच पर लाने का प्रयास है।

बैठक संपन्न होने के उपरान्त सभी सदस्यों ने पंडित जी से आशीर्वाद लिया। बैठक का संचालन समता आंदोलन के जिलाध्यक्ष केदार पाराशर ने किया।

कार्यक्रम में श्री ब्राह्मण सभा के पूर्व जिलाध्यक्ष कौशलेश शर्मा, समता आंदोलन समिति के जिलाध्यक्ष केदारनाथ पाराशर, सेवानिवृत विकास अधिकारी राजेंद्र दंडोतिया, जती मीडिया के चीफ ब्यूरो राजेंद्र प्रसाद शर्मा, श्री ब्राह्मण सेवा समिति तिलक नगर के वरिष्ठ सदस्य पंडित बनवारी लाल शर्मा, जयशंकर जूडो कराटे क्लब के संचालक पीयूष जयशंकर टाइगर, वरिष्ठ समाजसेवी महेश चिचाना, वरिष्ठ समाजसेवी अशोक शर्मा सारस, सेवा निवृत सहायक अभियंता इंजी. देवकीनंदन शर्मा सहित अनेक समतावादी सदस्यों ने बैठक में सहभागिता निभाई।

समता ज्योति के स्वामित्व तथा अन्य जानकारी से संबंधित विवरण

फार्म-4

(नियम 8 देखिए)

1. प्रकाशन स्थान	:	68 भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर ।
2. प्रकाशन की अवधि	:	मासिक
3. मुद्रक का नाम	:	समता आन्दोलन समिति
राष्ट्रीयता	:	भारतीय
पता	:	68 भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर ।
4. प्रकाशक का नाम	:	समता आन्दोलन समिति
राष्ट्रीयता	:	भारतीय
पता	:	68 भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर ।
5. सम्पादक का नाम	:	योगेश्वर शर्मा
राष्ट्रीयता	:	भारतीय
पता	:	जी-3, संगम रेजिडेन्सी, चित्रकूट, वैशाली नगर, जयपुर ।
6. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो पत्रिका के स्वामी है तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार है।	:	समता आन्दोलन समिति 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर।

मैं पाराशर नारायण शर्मा, अध्यक्ष समता आन्दोलन समिति एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिया गया विवरण सत्य है।

मार्च, 2024

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, समता आन्दोलन समिति

चुनाव की घोषणा से पहले जम्मू-कश्मीर में पहाड़ियों को 10 प्रतिशत आरक्षण, ओबीसी का किया दोगुना

गुज्जर-बकरवालों को पहले से मिल रहे 10 फीसदी आरक्षण में किसी प्रकार की कटौती नहीं की गई है। इस प्रकार अनुसूचित जनजाति को 20 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

जम्मू-कश्मीर में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने से ठीक पहले पहाड़ियों को दस फीसदी आरक्षण दे दिया गया। गुज्जर-बकरवालों को पहले से मिल रहे 10 फीसदी आरक्षण में किसी प्रकार की कटौती नहीं की गई है। इस प्रकार अनुसूचित जनजाति को 20 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का आरक्षण दोगुना करते हुए आठ फीसदी कर दिया गया है। यह फैसला उप राज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में किया गया। इससे पहाड़ी तथा ओबीसी समुदाय के एक बड़ी आबादी को लाभ पहुंचेगा।

प्रदेश प्रशासन ने संसद द्वारा जम्मू -कश्मीर में लागू अनुसूचित जनजाति के आदेश में जोड़ी गई नई जनजातियों के पक्ष में 10 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है। चार नई जनजातियों में पहाड़ी जातीय समूह, पद्दारी, कोली और गद्दा ब्राह्मण शामिल हैं।

इसके साथ 15 नई जातियों के साथ ओबीसी के पक्ष में आरक्षण को 8 प्रतिशत तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। सामाजिक-आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग-एसईबीसी आयोग की सिफारिश के तहत कुछ जातियों के नामकरण और पर्यायवाची शब्द में बदलाव को भी मंजूरी दी गई है।

महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लिए लागू हुआ 10 फीसदी आरक्षण, अधिसूचना जारी

मराठा आरक्षण की मांग को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने आरक्षण की प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। सरकार ने आयोग के माध्यम से मराठा समुदाय के सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर सर्वेक्षण कराया था।

महाराष्ट्र में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े मराठा समुदाय के लिए शिक्षा और सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया गया है। विधि व न्याय कानून विभाग के सचिव सतीश बाघोले ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इससे अब राज्य में मराठा समुदाय के लोग शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण का लाभ ले सकते हैं।

मराठा आरक्षण की मांग को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने आरक्षण की प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। सरकार ने आयोग के माध्यम से मराठा समुदाय के सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर सर्वेक्षण कराया था।

सर्वेक्षण में यह पाया गया कि मराठा समुदाय के 84 प्रतिश परिवार उन्नत श्रेणी में नहीं आते हैं। इसलिए वे इंदिरा साहनी मामले के मुताबिक आरक्षण के पात्र हैं। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 20 फरवरी को हुए विधानमंडल के विशेष सत्र में मराठा समुदाय को 10: आरक्षण देने वाले विधेयक को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई थी।

आरक्षित के नम्बर ज्यादा तो जनरल में नियुक्ति

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए सामान्य श्रेणी खुली श्रेणी है। आरक्षित वर्ग से सामान्य श्रेणी की सीट पर स्थानान्तरण हो सकता है। लेकिन इसके विपरीत नहीं, ऐसे में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार की तुलना में अधिक अंक प्राप्त करने वाले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को खुली श्रेणी की चयन प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जायेगी। कोर्ट ने कहा कि आरक्षित वर्ग के पदों के लिए केवल आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को ही नियुक्त किया जा सकता है। भले ही उम्मीदवारों की नियुक्ति कॉमन वेटिंग लिस्ट से की जा रही हो। एक बार कटऑफ के अनुसार सामान्य वर्ग की मेरिट सूची समाप्त हो गई और वेटिंग लिस्ट से रिक्तियॉ भरी जा रही है तो भी आरक्षित वर्ग से कम अंक वाले सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं दी जा सकती है।

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in